संख्या-65/परि0/516/परि0ई/2003

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

परिवहन विभाग,

देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर, 2003

विषय:- "अवैध एल0पी0जी0 गैसकिट से संचालित वाहनों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।"

महोदय,

उपर्युक्त विषयकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सुप्रीमकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी एवं माननीय लोकायुक्त, उत्तरांचल द्वारा वाहनों को एल0पी0जी0 गैसकिट से संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इन वाहनों को भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों को प्रदत्त टाइप-एप्रूव या सी0ओ0पी0 प्रदत्त गैसकिट निर्माताओं के माध्यम से ही गैसकिटों की आपूर्ति की जाय, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले गैसकिट से वाहनों का संचालन हो सके और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आदि की सम्भावना न रहे। किन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय वाहन-स्वामियों द्वारा अनधिकृत गैसकिट निर्माताओं के गैसकिटों का प्रयोग अपने वाहनों में किया जा रहा है, जो न केवल अवैध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भी है। अतः कृपया अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे इस प्रकार के अनधिकृत एवं अवैध गैसकिट कम्पनियों के गैसकिटों से संचालित वाहनों पर तत्काल रोक लगा दें और ऐसे वाहन-स्वामियों के एवं गैसकिट निर्माताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित कर दें कि यदि वाहन स्वामियों द्वारा एल0पी0जी0 गैसकिट से वाहन संचालित किया जाता है, तो वे अधिकृत एवं भारत सरकार की एजेंसियों से टाइप एप्रूवल अथवा सी0ओ0पी0 प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से ही गैसकिट लगायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-65/परि0/2003, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।

2- समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।

3- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र चन्द्र जोशी
अपर सचिव।